



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/214

--आदेश--

दिनांक 19-02-25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड प्रति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नाना तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 906 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	नाना	906	जितेन्द्रसिंह पुत्र सांकलसिंह	जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ जितेन्द्रसिंह पुत्र सांकलसिंह



क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 182 - 184  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का नाना को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री जितेन्द्र पाल सिंह पुत्र सांकलसिंह जाति राठौड़ निवासी नाना तहसील बाली को सूचनार्थ।

3  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
लोक अदालत  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 20/02/25

3  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
लोक अदालत  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली